

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2026

श्री Kuldeep Chand s/o Shri Parshotam Lal, r/o V.P.O. Bagli, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)\

Vs.

1. The General Public.
2. The Commissioner-cum-Registrar Births and Deaths, MC Dharamshala
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Kuldeep Chand s/o Shri Parshotam Lal, r/o V.P.O. Bagli, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self Kuldeep Chand s/o Parshotam का जन्म/मृत्यु दिनांक 16-05-1971 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत Bagli में मेरी जन्म-तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस/इशतहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 19-03-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म-तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Case : Death Registration

Mr./Mrs./Ms. Chuni Lal s/o Late Raseela Ram, r/o Ward No. 04, Village Gagli, P.O. Bagli, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Vs.

1. The General Public
2. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.
3. The Registrar (Births and Deaths)-cum-Panchayat Secretary, Concerned G.P.

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr./Mrs./Ms. Chuni Lal s/o Late Raseela Ram, r/o Ward No. 04, Village Gagli, P.O. Bagli, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता तुलसी देवी पत्नी स्व० श्री रसीला राम की मृत्यु दिनांक 17-10-1990 को हुई है परन्तु एम०सी० धर्मशाला/सम्बन्धित ग्राम पंचायत के मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत न है। अतः मृत्यु/तिथि पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार/मुश्री/मुनादी के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त तुलसी देवी पत्नी स्व० रसीला राम की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-03-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु-तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 17-03-2026

श्री प्रीतम चन्द पुत्र स्व० श्री मनोहर लाल, निवासी महाल व मौजा घियाणाकलां, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र० प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

.. प्रतिवादी।

प्रार्थी श्री प्रीतम चन्द पुत्र स्व० श्री मनोहर लाल, निवासी महाल व मौजा घियाणाकलां, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र० ने अपने नाम की दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रीतम चन्द पुत्र स्व० श्री मनोहर लाल है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रीतो पुत्र मनोहर लाल दर्ज है, जोकि गलत है। इस आशय की पुष्टि के लिए प्रार्थी ने पर्चा जमाबंदी व अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता व संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि 17-03-2026 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर हों। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 18-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 17-03-2026

श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 किरपा राम पुत्र भूटिया, निवासी टीका चतेहड़, डाकघर योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

.. प्रतिवादी।

प्रार्थी श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 किरपा राम पुत्र भूटिया, निवासी टीका चतेहड़, डाकघर योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अपने नाम को दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम राजेश कुमार पुत्र स्व0 किरपा राम पुत्र भूटिया है परन्तु राजस्व रिकार्ड में रेशो पुत्र किरपा राम दर्ज है, जोकि गलत है। इस आशय की पुष्टि के लिए प्रार्थी ने पर्चा जमाबंदी व अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता व संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि 17-03-2026 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर हों। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 28-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
नायब तहसीलदार धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 17-03-2026

श्री रोमेश कुमार थापा पुत्र प्रेम सिंह थापा, निवासी गांव व डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

.. प्रतिवादी।

प्रार्थी श्री रोमेश कुमार थापा पुत्र प्रेम सिंह थापा, निवासी गांव व डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अपने नाम को दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम रोमेश कुमार थापा पुत्र प्रेम सिंह थापा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में रमेश कुमार पुत्र प्रेम सिंह थापा दर्ज है जोकि गलत है। इस आशय की पुष्टि के लिए प्रार्थी ने पर्चा जमाबंदी व अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता व संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि 17-03-2026 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर हों। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 18-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
नायब तहसीलदार धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

-----  
**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : जाति दुरुस्ती

तारीख पेशी : 24-03-2026

श्री देश राज पुत्र स्व0 लखी राम, निवासी गांव व डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा,  
हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

.. प्रतिवादी।

प्रार्थी श्री देश राज पुत्र स्व0 लखी राम, निवासी गांव व डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अपनी जाति को दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी के मुताबिक उसकी जाति गद्दी आर्य है परन्तु राजस्व रिकार्ड सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला में हाली दर्ज है, जोकि गलत है। इस आशय की पुष्टि के लिए प्रार्थी ने पर्चा जमाबंदी व अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता व संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी की जाति को दुरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि 24-03-2026 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर हों। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 18-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
नायब तहसीलदार धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

अनीता पोती रण सिंह पुत्र नुरुध सिंह, वासी महाल लाहडू, मौजा बाड़ी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

समस्त आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस (मुश्री-मुनादी) बनाम आम जनता।

प्रार्थिया अनीता पोती रण सिंह पुत्र नुरुध सिंह, वासी महाल लाहडू, मौजा बाड़ी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपने दादा रण सिंह की मृत्यु तिथि, जोकि 01-01-1977 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है, जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया के दादा रण सिंह की मृत्यु तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो व प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकते हैं। किसी आपत्ति/एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : शादी पंजीकरण

तारीख पेशी : 16-03-2026

रूमा देवी पत्नी स्व0 श्री वीरवल, गांव तरेफड, डाकघर मैला, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) पत्नी स्व0 श्री वीरवल सिंह पुत्र शंका राम, गांव तरेफड, डाकघर मैला, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

मुश्री-मुनादी बनाम आम जनता

प्रार्थिया रूमा देवी पत्नी स्व0 श्री वीरवल पुत्र शंका राम गांव तरेफड, डाकघर मैला, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि मेरी शादी दिनांक 19-12-1952 को स्व0 श्री वीरवल सिंह पुत्र शंका राम, गांव तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 से हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी लेकिन वह अन्नभिज्ञता के

कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत हारसी में दर्ज नहीं करवा सके थे, जिसे प्रार्थिया अब पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः इस मुश्री-मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया रूमा देवी पत्नी स्व० श्री वीरवल पुत्र शुंका राम, गांव तरेफड़, डाकघर मैला, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र० की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 16-03-2026 को इस अदालत में पेश कर सकता है, हाजिर न होने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा व पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत सचिव हारसी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब,  
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मिसल नम्बर :.....

तारीख दायरा : 09-03-2026

जुगल किशोर उपनाम रमेश राणा, कमल किशोर, सतीश कुमार पुत्रान सरन दास, निवासी गांव कुटलाहड़, डाकघर तलाड़ा, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि०प्र० प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत दुरुस्ती नाम हि०प्र०, भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 के अन्तर्गत।

जुगल किशोर उपनाम रमेश राणा, कमल किशोर, सतीश कुमार पुत्रान सरन दास, निवासी गांव कुटलाहड़, डाकघर तलाड़ा, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि०प्र० ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजार कर आग्रह किया है कि उनके पिता का नाम आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर में सरन दास सही लिखा है, जबकि उनके पिता को, जो राजस्थान में अलाटमैट पट्टाजात कागजात हुई, उसमें राम सरन लिखा गया है। प्रार्थी अपने पिता का नाम महाल कुटलाहड़ के खाता नम्बर 191, खतौनी नम्बर 279 ता 282, महाल कुटलाहड़ में सरन दास उपनाम राम सरन पुत्र हीरा लाल करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नामों की दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 09-03-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज नहीं सुना जायेगा।

आज दिनांक 09-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील इन्दौरा,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 33/तह/2026

तारीख दायरा : 03-03-2025

श्री रमेश सिंह पुत्र चन्द, निवासी खण्डा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

मुश्री मुनादी/नोटिस

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री रमेश सिंह पुत्र चन्द, निवासी खण्डा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में "रमेश सिंह" दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है, जबकि राजस्व अभिलेख महाल खण्डा में प्रार्थी का नाम "प्रिथी सिंह" दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसके नाम की दुरुस्ती "प्रिथी सिंह" की बजाये "प्रिथी सिंह उपनाम रमेश सिंह" राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-03-2026 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने की स्थिति में, एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील इन्दौरा,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 64/तह/2025

तारीख दायरा : 24-02-2025

कमला देवी उर्फ पुष्पा रानी पुत्री किशन चन्द, निवासी गांव नौशहरा नालवन्दा, तहसील व जिला पठानकोट (पंजाब) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

मुश्री मुनादी/नोटिस

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थिया कमला देवी उर्फ पुष्पा रानी पुत्री किशन चन्द, निवासी गांव नौशहरा नालवन्दा, तहसील व जिला पठानकोट (पंजाब) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में "पुष्पा रानी" दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है, जबकि राजस्व अभिलेख महाल पलाख में उसका नाम "कमला देवी" दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसने अपने नाम की दुरुस्ती कमला, कमला देवी की बजाये कमला देवी उपनाम पुष्पा रानी राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-03-2026 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने की स्थिति में, एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील इन्दौरा,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : /तह/2026

तारीख दायरा : 24-01-2026

श्री केवल चन्द पुत्र धूमू, निवासी गांव सनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

मुश्री मुनादी/नोटिस

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री केवल चन्द पुत्र धूमू, निवासी गांव सनौर, तहसील तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में केवल चन्द दर्ज है, जोकि सही नाम है, जबकि राजस्व अभिलेख महाल सनौर में प्रार्थी का नाम "केवल सिंह" दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसके नाम की दुरुस्ती केवल सिंह की बजाये केवल सिंह उपनाम केवल चन्द राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-03-2026 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने की स्थिति में, एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील इन्दौरा,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 35/तह/2026

तारीख दायरा : 22-01-2026

श्री छिन्द लाल पुत्र मिलखी राम, निवासी गांव भूपू, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

मुश्री मुनादी/नोटिस

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री छिन्द लाल पुत्र मिलखी राम, निवासी गांव भूपू, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में "छिन्द लाल" दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है, जबकि राजस्व अभिलेख महाल भूपू में प्रार्थी का नाम "छिन्द पाल" दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसके नाम की दुरुस्ती (छिन्द पाल की बजाये छिन्द पाल उपनाम छिन्द लाल) राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-03-2026 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने की स्थिति में, एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मिसल नं0 : 821827/2026

तारीख मजरुआ : 17-02-2026

तारीख पेशी : 24-03-2026

श्री सुभाष चन्द शर्मा पुत्र श्री ठाकर दास पुत्र गुलावा, निवासी महाल चरजेड, मौजा खर्ट, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री सुभाष चन्द शर्मा पुत्र श्री ठाकर दास पुत्र गुलावा, निवासी महाल चरजेड, मौजा खर्ट, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत में दिनांक 17-02-2026 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम महाल गन्याडू व महाल चरजेड में सुभाष चन्द है, परन्तु प्रार्थी का नाम उसी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र व शिक्षा प्रमाण-पत्र पर सुभाष चन्द शर्मा दर्ज हो चुका है, प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्वघोषणा पत्र, प्रार्थी की पुत्री का शिक्षा प्रमाण-पत्र व जन्म प्रमाण-पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल चरजेड व महाल गन्याडू में प्रार्थी का नाम सुभाष चन्द के स्थान पर सुभाष चन्द उपनाम सुभाष चन्द शर्मा पुत्र ठाकर दास पुत्र गुलावा, निवासी महाल चरजेड, मौजा खर्ट, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के नाम की दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-03-2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 18-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

**In the Court of Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Raja Ka Talab,  
District Kangra (H.P.)**

File No. /TEH/2026

Date of Institution : 21-02-2026

Case Titled : Correction of name

Name of applicant:—Kishori Lal s/o Nanak Chand, r/o Vill. Rour & P.O. Rehan, Sub-Teshil Raja ka Talab, District Kangra, H.P. . . Applicant.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

*Notice of the General Public*

Whereas, Kishori Lal s/o Nanak Chand, r/o Vill. Rour & P.O. Rehan, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, District Kangra, H.P. has filed an application before the undersigned in which he has stated that his father correct name according to Gram Panchayat record, Aadhar Card, Bank record, Mark List etc. is Nanak Chand s/o Banta but due to clerical mistake his father's name has been wrongly entered in Revenue record of Mohal Rour Patwar Circle Rehan bearing Khata No. 135.

The enquiry of the application filed by the applicant was conducted through field revenue agencies and after receiving report from the field revenue agencies, it has been observed that the applicant's fathers correct name is Nanak Chand s/o Banta but the name of the applicant is recorded in revenue record is Chhanga s/o Banta.

Now, therefore, in pursuance of section 38 of H.P. Land Revenue Act, 1954, proclamation is hereby issued to all General public concerned that objection in this regard for correction of the name of Chhanga s/o Banta shall be heard by the undersigned on 18-03-2026 in his court at Raja Ka Talab. Any person having any objection to make in the matter may due so on the said date and place in person or through legal practitioner or through recognised agent. In case of non appearance proceedings will be taken *ex-parte* and necessary action in this matter will be taken accordingly as per law.

Given under my hand and seal of the court on 18-02-2026.

Seal.

Sd/-  
*Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,  
Raja Ka Talab, District Kangra (H.P.).*

---

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer  
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)**

In the matter of :

1. Amit Tachhak aged 33 years s/o Sh. Mulkh Raj, r/o Village Bhoran Chanalti, P. O. Silh, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

2. Yasmin aged 30 years d/o Sh. Anvar, Moh Ansariyan, r/o Near Dhemro Bala Mandir Bilari, Distt. Mohradabad, U.P. *Applicants.*

*Versus*

General Public

*Respondent.*

*Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.*

The above applicants have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to be solemnized their marriage within next three calender months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this

office on or before 30-03-2026 at 11.00 A.M. The objection(s) after 30-03-2026 at 11.00 A.M. will not entertain by this office and then the marriage will be registered according as per the law prescribed.

Issued on this day 17th day of February, 2026 under my hand and seal of this office.

Seal.

Sd/-  
Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,  
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 709641 / 2026

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 19-03-2026

श्री कशमीर सिंह राणा पुत्र श्री प्रेम सिंह राणा, निवासी महाल फिहार (हाल निवासी सिहोटी, डा0 खुण्डियां), तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल फिहार, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थी श्री कशमीर सिंह राणा पुत्र श्री प्रेम सिंह राणा, निवासी महाल फिहार (हाल निवासी सिहोटी, डा0 खुण्डियां), तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में कशमीर सिंह राणा व पिता का नाम प्रेम सिंह राणा दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी कशमीर सिंह राणा व पिता का सही नाम भी प्रेम सिंह राणा ही है, परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त घुटियालता—II के महाल फिहार, में उसका नाम कशमीर सिंह व पिता का नाम प्रेम सिंह गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने व अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल फिहार में दुरुस्ती करवा करके कशमीर सिंह के बजाये कशमीर सिंह राणा उपनाम कशमीर सिंह व पिता के नाम में दुरुस्ती करवा करके प्रेम सिंह की जगह प्रेम सिंह राणा उपनाम प्रेम सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल घरना में दुरुस्ती करवा करके कशमीर सिंह के बजाये कशमीर सिंह राणा उपनाम कशमीर सिंह एवं पिता के नाम प्रेम सिंह राणा उपनाम प्रेम सिंह दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 19-03-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 19-02-2026 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 709638 / 2026

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 17-03-2026

श्री पदमनाभ शर्मा पुत्र श्री मोती राम, निवासी महाल टिहरी, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल टिहरी व महाल भौरन, मौजा टिहरी/गन्धवाड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

श्री पदमनाभ शर्मा पुत्र श्री मोती राम, निवासी महाल टिहरी, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में पदमनाभ शर्मा दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी पदम नाथ शर्मा ही है, परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल टिहरी व राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिप के महाल भौरन में उसका नाम पदमनाथ गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख टिहरी व महाल भौरन में दुरुस्ती करवा करके पदमनाथ के बजाये पदमनाभ शर्मा उपनाम पदमनाथ दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल टिहरी व महाल भौरन में दुरुस्ती करवा करके पदमनाभ के बजाये पदमनाथ शर्मा उपनाम पदमनाथ दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 17-03-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 17-02-2026 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 709640 / 2026

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 19-03-2026

श्री ब्रहम दास पुत्र श्री सन्त राम, निवासी महाल घरना, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल घरना, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थी श्री ब्रह्म दास पुत्र श्री सन्त राम, निवासी महाल घरना, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में ब्रह्म दास व पिता का नाम सन्त राम दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी ब्रह्म दास व पिता का सही नाम भी सन्त राम ही है, परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त महादेव के महाल घरना में उसका नाम ब्रह्मू व पिता का नाम सन्तू गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने व अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल घरना में दुरुस्ती करवा करके ब्रह्मू के बजाये ब्रह्म दास उपनाम ब्रह्मू व पिता के नाम में दुरुस्ती करवा करके सन्तु की जगह सन्त राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल घरना में दुरुस्ती करवा करके ब्रह्मू के बजाये ब्रह्म दास उपनाम ब्रह्मू एवं पिता के नाम सन्त राम उपनाम सन्तु दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 19-03-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-02-2026 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

केस नं0 : 04/TEH/2026

किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 17-02-2026

रतन लाल

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री रतन लाल पुत्र श्री लाला राम, निवासी गांव लदोह, डा0 व तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि प्रार्थी के पिता लाला राम की मृत्यु दिनांक 14-08-1984 को घर पर ही हुई थी परन्तु उस समय अज्ञानतावश व अनपढतावश ग्राम पंचायत लदोह के अभिलेख में मृत्यु तिथि को पंजीकृत नहीं करवाया था। अब उनको अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत को मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-04-2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या

एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी रतन लाल के पिता लाला राम के मृत्यु पंजीकरण दिनांक 14-08-1984 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

केस नं0 : 03/TEH/2026

किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण  
आशा देवी

तारीख पेशी : 20-02-2026

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया आशा देवी पुत्री भगत वर्तमान पत्नी कवि कुमार, वर्तमान निवासी गांव बरोड़, डा0 रक्कड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया की माता जुध्या देवी की मृत्यु दिनांक 02-01-2023 को घर पर ही हुई थी परन्तु उस समय अज्ञानतावश व अनपढ़तावश ग्राम पंचायत कैलाशपुर के अभिलेख में मृत्यु तिथि पंजीकृत नहीं करवाई है। अतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत को मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया आशा देवी की माता की मृत्यु पंजीकरण दिनांक 02-01-2023 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 04 एन0टी0/2026

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।

तारीख पेशी : 20-02-2026

श्री मनोहर लाल कपूर पुत्र श्री जगत राम कपूर, निवासी गांव व डा0 घाड़, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

## आम जनता

विषय.—अदालती नोटिस नाम दुरुस्ती बारे।

श्री मनोहर लाल कपूर पुत्र श्री जगत राम कपूर, निवासी गांव व डा0 घाड़, तहसील पंचरुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का सही नाम मनोहर लाल कपूर है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल घाड़, पटवार वृत्त घाड़ में प्रार्थी का नाम मनोहर गलत दर्ज है। साथ ही मनोहर लाल कपूर के पिता का सही नाम जगत राम कपूर है जबकि राजस्व अभिलेख महाल घाड़ में जगता गलत दर्ज है। अब उनके व उनके पिता के नाम की दुरुस्ती करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जाए।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे अगर किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2026 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थी व उनके पिता के सही नाम सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
उप—तहसील पंचरुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

## ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मंगल वहादुर पुत्र श्री सन्तमान वहादुर, निवासी गांव व डाकघर सेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

मंगल वहादुर पुत्र श्री सन्तमान वहादुर, निवासी गांव व डाकघर सेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 03-10-1973 को गांव व डाकघर सेहल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-04-2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 16-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

चिगा राम पुत्र श्री चौकस राम, निवासी गांव व डाकघर मण्डेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

चिगा राम पुत्र श्री चौकस राम, निवासी गांव व डाकघर मण्डेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके भाई अमिन चन्द की मृत्यु दिनांक 01-04-1987 को गांव व डाकघर मण्डेड में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 20-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

भगवान सिंह पुत्र श्री शम्भू राम, निवासी गांव व डाकघर तरेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

भगवान सिंह पुत्र श्री शम्भू राम, निवासी गांव व डाकघर तरेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 03-07-1950 को गांव व डाकघर तरेहल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 20-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

-----